



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-29042026-272158  
CG-WB-E-29042026-272158

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2049]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 8, 1948

No. 2049]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2026/VAISAKHA 8, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 28 अप्रैल, 2026

का.आ. 2122(अ).— जबकि, रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1942, का.आ.1986(अ), दिनांक 2 मई 2025 द्वारा, जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (ii) में प्रकाशित हुई है (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिसूचना' कहा गया है) और जो रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उद्धृत) की धारा 20ए के उप- धारा (1) के तहत जारी की गई है; केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में 'बुरमारा-चाकुलिया (59.96 किमी) नई लाइन' (16.20 किमी. अनुभाग) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए विनिर्दिष्ट भूमि अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है।

और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20ए के उप- धारा (4) के तहत, उक्त अधिसूचना संख्या 1942, का.आ.1986(अ), दिनांक 2 मई 2025 का सार दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् 'संवाद' (ओडिशा) में 15.05.2025 को और 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' (अंग्रेजी) के भुवनेश्वर संस्करण में 15.05.2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, जबकि निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां प्राप्त हुई थीं और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका निपटारा कर दिया गया था;

अतः, धारा 20 ए के तहत जारी उक्त अधिसूचना संख्या 1942, का.आ.1986(अ), दिनांक 2 मई 2025 के संशोधन के संबंध में शुद्धिपत्र, भारत के राजपत्र में संख्या 2038, का.आ. 2111(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2026 के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाएगा;

और इसके आगे, उल्लिखित अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा घोषणा करती है कि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, इसके साथ ही संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि पूर्णतया केन्द्र सरकार की हो जाएगी जो सभी अतिक्रमणों से मुक्त होगी।

### अनुसूची

ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में 'बुरमारा-चाकुलिया (59.96 किमी) नई लाइन' (16.20 किमी अनुभाग से संबंधित) के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित या रहित, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क) मौजा: पुनासिया, पुलिस थाना: बांगरीपोसी, पुलिस थाना संख्या: 191, तहसील: सरसकाना, ग्रामीण, जिला: मयूरभंज, ओडिशा

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	अनुक्रम संख्या	किसम	प्लोट क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	स्वामित्व की स्थिति	रैयत
1	13	966	डाही-II	0.0809	0.0809	निजी	उमेश दंडपाट, पिता: युधिष्ठिर दंडपाट, जाति: सदगोप, निवासी: जालदा, जबरदखल। निवासी:, सुरेश चंद्र नायक, पिता: प्रभाकर नायक, जाति: सदगोप, निवासी: पानपोशी।
2		967	आशु	0.1214	0.1214	निजी	
3	69	969	आशु	0.1457	0.1457	निजी	प्रताप कलिया, लक्ष्मीधर कलिया, पिता: राधामोहन कलिया, जाति: सदगोप, निवासी: जालदा।
4		970	सारद -III	0.0526	0.0526	निजी	
5	132	980	जलाशय-II	0.2671	0.0647	निजी	शांतमणि सिंह, पति: झगुडु सिंह, जाति: कोहल, निवासी: जालदा।
6	141	969/ 1209	आशु	0.0688	0.0688	निजी	सुरेश चंद्र नायक, पिता- प्रभाकर नायक, जाति: भुइयां, निवासी- पानापोसी।
7		969/ 1210	आशु	0.1214	0.1214	निजी	
8		971	आशु	0.2185	0.2185	निजी	
9		972	सारद -III	0.0567	0.0567	निजी	
10		973	आशु	0.0486	0.0486	निजी	
11		156/47	963	आशु	0.4654	0.4654	
12	968		आशु	0.3035	0.3035	निजी	
13	977		आशु	0.3440	0.3440	निजी	

14	977/ 1304	घरबारी	0.0243	0.0243	निजी	
15	978	आशु	0.5625	0.5625	निजी	
कुल				2.679		

[फा. सं. दपूरेनिर्माण/-संगठन/मुख्यालय/भूमि/डीसीई/सी-II/केजीपी/एनएल/बीडब्ल्यूओ-सीकेयू/एसआरपी/ओडी/20ई/1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /(निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

### [South Eastern Railway (Construction Organization)]

#### NOTIFICATION

Kolkata, the 28th April, 2026

**S.O. 2122(E).**— Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South Eastern Railway/Construction Organization), number 1942, S.O.1986(E), dated 2<sup>nd</sup> May 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) herein after referred to as the said notification issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(herein after referred to as the said Act), the Central Government, declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely 'Boramara-Chakulia (59.96 km) new line', pertains to 16.20 Km section in the District of Mayurbhanj in the State of Odisha.

And, whereas, the substance of said notification number 1942, S.O.1986(E), dated 2<sup>nd</sup> May 2025 was published in the daily newspapers, namely 'SAMBAD' (Odiya) published on 15.05.2025 and 'Times of India' (English) Bhubaneswar Edition on 15.05.2025 under section (4) of section 20A of the said Act.

And, whereas objections were received within the schedule time period and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act;

As such, the corrigendum in amendment of said notification number 1942, S.O.1986(E), dated 2<sup>nd</sup> May 2025 issued under section 20A has been notified in Gazette of India vide number 2038, S.O. 2111(E), dated 27<sup>th</sup> April, 2026.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on this publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of land to be acquired, with or without structure, falling within the Special Railway Project namely, 'Boramara-Chakulia (59.96 km) new line', pertains to 16.20 Km section in the district of Mayurbhanj in the State of Odisha.

A) Mouza: Punasia, Police Station: Bangriposi, P.S No.191, Tahasil: Saraskana, Rural, District: Mayurbhanj, Odisha

Sl. No.	Khata No.	Plot No.	Kisam	Plot Area (in Hectre)	Area to be acquired (in Hectre)	Status of Ownership	Rayat
1	13	966	Dahi 2	0.0809	0.0809	Pvt.	Umesh Dandpat, S/o-
2		967	Ashu	0.1214	0.1214	Pvt.	Yudhisthir Dandpat, Caste-

							Sadagop, Res- Jalda, Jabar Dakhal Suresh Chandra Naik, S/o- Prabhakar Naik Caste- Sadgop, Res-Panapasi
3	69	969	Ashu	0.1457	0.1457	Pvt.	Pratap Kalia, Laxmidhar Kalia, S/o-Radha Mohan Kalia, Caste- Sadagop, Res- Jalada
4		970	Sharad 3	0.0526	0.0526	Pvt.	
5	132	980	Jalasya 2	0.2671	0.0647	Pvt.	Shantamani Singh, W/o- Jhagudu Singh, Caste- Kolha, Res- Jalda
6	141	969/ 1209	Ashu	0.0688	0.0688	Pvt.	Suresh Chandra Naik, S/o- Prabhakar Naik, Caste- Bhuyan, Res- Panaposi
7		969/ 1210	Ashu	0.1214	0.1214	Pvt.	
8		971	Ashu	0.2185	0.2185	Pvt.	
9		972	Sharad 3	0.0567	0.0567	Pvt.	
10		973	Ashu	0.0486	0.0486	Pvt.	
11	156/47	963	Ashu	0.4654	0.4654	Pvt.	Dillip Kumar Ghosh, S/o- Debendra Nath Ghosh, Caste- Sadagop, Res- Murunia
12		968	Ashu	0.3035	0.3035	Pvt.	
13		977	Ashu	0.3440	0.3440	Pvt.	
14		977/ 1304	Gharbari	0.0243	0.0243	Pvt.	
15		978	Ashu	0.5625	0.5625	Pvt.	
<b>TOTAL</b>					<b>2.679</b>		

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/NL/BWO-CKU/SRP/OD/20E/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con.)